



प्रेस विज्ञप्ति  
12/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 81 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सूरत पुलिस के डी.सी.बी. पुलिस स्टेशन द्वारा कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध वित्तीय लाभ के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

पीएमएलए जांच के दौरान, यह पाया गया कि अमित मजीठिया अन्य लोगों के साथ मिलकर सट्टेबाजी वेबसाइट मेसर्स सीबीटीएफ247.कॉम और टी20एक्सचेंज.कॉम आदि चला रहे हैं। ये वेबसाइटें पोंकर, तीनपत्ती, कैसिनो आदि जैसे विभिन्न लाइव खेलों में जुआ खेलने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करके विशेष रूप से युवाओं और आम जनता को लुभाती हैं और साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी आदि जैसे खेलों के लिए अवैध सट्टेबाजी की सुविधा भी देती हैं। इसके अलावा, अमित मजीठिया ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी फर्मों के नाम पर खोले गए विभिन्न बैंक खातों का उपयोग करके इन अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों को चलाने के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को बढ़ाया।

यह भी पता चला है कि उन्होंने अपनी पत्नी को नोएडा स्थित मेसर्स बीसीसी म्यूज़िक फैक्टरी में 85% की भागीदार बनाया था, जो पीओसी (पॉकेट ऑड-ईवन) को सफेद करने का काम करती थी। इसलिए, 10/07/2025 को नोएडा में भी तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप कई बैंक खातों में 30 लाख रुपये और 25 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और ज़ब्त किए गए। आगे की जाँच से पता चला कि अमित मजीठिया ने अपनी पत्नी श्रीमती रोहिणी मजीठिया के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी थी, जिसके लिए अमित मजीठिया द्वारा अपने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मेसर्स सीबीटीएफ247.कॉम और टी20 एक्सचेंज.कॉम आदि के माध्यम से उत्पन्न पीओसी का इस्तेमाल किया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।